न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
24/2016/प्रा.पत्र/2016	23.02.2016	14.09.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .....प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री बृजबिहारी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहू उम्र 39 साल जाति तेली निवासी कायमखानियों की गली घण्टाघर के पास टोंक जिला टोंक मैसर्स जगदीश लाल कन्हैयालाल सुभाष बाजार घंटाघर के पास टोंक जिला टोंक
2–मैसर्स जगदीश लाल कन्हैयालाल सुभाष बाजार घंटाघर के पास टोंक जिला टोंक
3–श्रीमति माया देवी प्रोपरायटर मैसर्स माया एजेन्सीज वार्ड नं. 18 प्लॉट नं. 7, आदर्श नगर, टोंक निवासी वार्ड नं. 18, प्लॉट नं. 7, आदर्श नगर टोंक जिला टोंक राज.
4–मैसर्स माया एजेन्सीज वार्ड नं. 18 प्लॉट नं. 7, आदर्श नगर, टोंक
5–श्री मोहित हासीजा पुत्र श्री एस.के. हासीजा निवासी 74/15, 8 ब्लॉक, गोविन्द नगर, कानपुर नॉमिनी मैसर्स नमस्ते इण्डिया फूड्स प्रा. लि. दुकान नं. 19–21 श्याम नगर, सब्जी मण्डी के सामने रोड नं. 14, विश्वकर्मा जयपुर
6–मैसर्स नमस्ते इण्डिया फूड्स प्रा. लि. दुकान नं. 19–21 श्याम नगर, सब्जी मण्डी के सामने रोड नं. 14, विश्वकर्मा जयपुर

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–श्री बसंतीलाल चौधरी एड0, श्री महावीर तोगडा एड0, श्री जितेन्द्र टाटावत एड0

:–निर्णय–: **दिनांक 14.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.09.2015 को समय 01:00 पीएम पर मैसर्स जगदीश लाल कन्हैयालाल सुभाष बाजार घंटाघर के पास टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री बृजबिहारी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहू मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बृजबिहारी साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में 500 ग्राम पैक के लगभग 30 पैकेट पैक्ड अवस्था मे **घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री बृजबिहारी साहू को फार्म नं. 5 ए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री बृजबिहारी साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 116 एवं पैकिंग की दिनांक जून 2015 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, पैक्ड अवस्था में 500 ग्राम के चार पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड)** के चार पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम पैक को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1093 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1093 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य कारोबारकर्ता श्री बृजबिहारी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहू मैसर्स जगदीश लाल कन्हैयालाल सुभाष बाजार घंटाघर के पास टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स माया एजेन्सीज वार्ड नं. 18 प्लॉट नं. 7, आदर्श नगर, टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त घी क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स माया एजेन्सीज वार्ड नं. 18 प्लॉट नं. 7, आदर्श नगर, टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहने पर प्रोपरायटर श्रीमति माया देवी ने बतौर वारन्टी मैसर्स नमस्ते इण्डिया फूड्स प्रा. लि. दुकान नं. 19–21 श्याम नगर, सब्जी मण्डी के सामने रोड नं. 14, विश्वकर्मा जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ घी क्रय करना बताया और साथ ही अपनी फर्म का वैट रजि. फार्म नं. 3 एवं पहचान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक द्वारा मैसर्स नमस्ते इण्डिया फूड्स प्रा. लि. दुकान नं. 19–21 श्याम नगर, सब्जी मण्डी के सामने रोड नं. 14, विश्वकर्मा जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, वैट रजिस्ट्रेशन फार्म नं. 3 व नॉमिनी रजि. फार्म नं. 9 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4415 दिनांक 26.11.2015 के द्वारा ज्ञात

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./638/एक्ट/2015/638 दिनांक 09.10.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i) एवं 3(1)(zf)(B)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 17.01.2019 को श्री बसंतीलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 12.03.2020 को जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से दिनांक 21.06.2018 को श्री महावीर प्रसाद तोगड़ा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 12.03.2020 को जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से दिनांक 23.06.2016 को श्री जितेन्द्र टाटावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 20.02.2020 को लिखित बहस पेश की। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब एवं लिखित बहस तथा पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 90,000/– (अक्षरे नब्बे हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक